संख्या: 35/2016/827प्रो0/51-2016-02(30)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय:- राज्य अतिथिगणों के सेवा-सत्कार पर हुए व्यय हुयी धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रोएशिया फुटबाल फेडरेशन के तकनीकी निदेशक, डॉ0 रोमियो जोडक, क्रोएशियाई दल के श्री ईवान केपसीजा, श्री टिहोमिर सेजीबेसिक व श्री ईवान पेरलिक के लखनऊ में पधारने पर उनके प्रवास, भोजन की व्यवस्था के निमित्त विवान्ता बाई ताज होटल, गोमती नगर, लखनऊ से संबंधित पार्श्वांकित विवरणानुसार देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल धनराशि **रूपये 2,01,668/- (रूपये दो लाख एक हजार छः सौ अड़सठ मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

बिल संख्या	दिनांक	कुल धनराशि
3431604340	18-06-15	15368-00
3431617304	20-12-15	45665-48
3431617305	20-12-15	45665-48
3431617306	20-12-15	45665-48
3431617307	20-12-15	1954-00
3431617308	20-12-15	38014-00
3431617309	20-12-15	9336-00
योग कुल योग	पूर्णांकित	201668-44 201668-00

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है । -2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 35/2016/827(1)प्रो/51-2016-02(30)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3,
5- प्रबन्धक, होटल ताज विवान्ता, गोमती नगर, लखनऊ
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।